राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक प.37( )पराविं/प्र.2/कालिम/CMJयूनि./2017/2693   जयपुर,दिनांक: 13.6.18

–:: परिपत्र ::–

कनिष्ठ लिपिक भर्ती, 2013 हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति अनुसार पूर्व निर्धारित है। उक्त योग्यताओं के संबंध में समस्त अभ्यर्थियों द्वारा अलग–अलग संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिन्हें भली–भांति जाँचा जाकर उनके वैध होने पर ही मान्य किया जाना अपेक्षित था। फिर भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी नियुक्तियाँ पा गये, जिनके शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र वैध नहीं थे।

विभाग द्वारा समय–समय पर जिलों में प्राप्त योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं/विश्वविद्यालयों बाबत स्थिति स्पष्ट की जाती रही है। विभाग द्वारा सी.एम.जे विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय तथा अन्य विश्वविद्यालयों की वैद्यता बाबत निम्नलिखित परिपत्र जारी किये गये –

1 आदेश क्रमांक 2101 दिनांक 04.07.2013

2 क्रमांक 3322 दिनांक 30.08.2017

3. क्रमांक 3234 दिनांक 04.08.2017

4 क्रमांक 4117 दिनांक 01.11.2017

अतः किसी भी अभ्यर्थी के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की वैधता की जॉच करते समय उक्त परिपत्रों/आदेशों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित था। इनमें से अधिकांश परिपत्र वर्ष 2017 एवं उसके बाद जारी किये गये है। वर्ष 2013 में सीधी भर्ती का परिणाम घोषित होते समय कुछ विश्वविद्यालयों बाबत स्थितियाँ स्पष्ट नहीं थी, अतः कुछ ऐसे अभ्यर्थी नियुक्तियाँ पा गये जिनके योग्यता प्रमाण पत्र विधि मान्य संस्थाओं द्वारा जारी नहीं किये गये है।

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी ऐसी संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं हो, जो विधि मान्य नहीं है। इस बाबत विभाग द्वारा लगभग सभी प्रकरणों में मार्गदर्शन दिया जा चुका है एवं कुछ प्रकरणों हेतु ऊपर वर्णित सामान्य परिपत्र भी जारी किये जा चुके है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् कनिष्ठ लिपिक भर्ती, 2013 में नियुक्ति पाये अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का पुनरीक्षण करेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थियों को पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर सेवा से पृथक करेंगे, जिनके शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता प्रमाण विधि मान्य नहीं है। यह कार्य आगामी एक माह में सम्पन्न कर विभाग को सूचित करेंगे।

(कुंजी लाल मीणा)
शासन सचिव एवं आयुक्त

D:\ACJS_N\Letters A2.docx

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाँधी नरेगा योजना, जयपुर।
4. शासन उप सचिव (विधि), पंचायती राज विभाग।
5. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. एनलिस्ट कम प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव